"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2010—फाल्गुन 7, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री मुनीष कुमार त्यागी, भा.प्र.से. (1997) कलेक्टर, रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अशोक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2000) कलेक्टर, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री त्रिलोक चंद महावर, भा.प्र.से. (2000) कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

4. श्री एन. के. खाखा, भा.प्र.से. (2000) उपायुक्त (विकास/राजस्व), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, उत्तर बस्तर, कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री राजपाल सिंह त्यागी, भा.प्र.से. (2001) कलेक्टर, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002) कलेक्टर, राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें संचालक, तकनीकी शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री यादव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

7. श्री ब्रजेश चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. (2002) उप सचिव, महामहिम, राज्यपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) कलेक्टर, उत्तर बस्तर, कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, भा.प्र.से. (2003) कलेक्टर, कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ किया जाता है.

10. श्री अमित कटारिया, भा.प्र.से. (2004) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सेवायें नगरीय विकास विभाग से वापस लेते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, धमतरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

11. श्रीमती आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर (जगदलपुर) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कबीरधाम (कवर्धा) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

12. श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006) अनुविभागीय अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर (जगदलपुर) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2010

क्रमांक ई-1-3/2008/एक/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. (1978), को मुख्य सचिव वेतनमान रु. 80000/- (निश्चित) में पदोन्नत किया जाता है. श्री राधाकृष्णन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. उक्त पदोन्नति का लाभ श्री राधाकृष्णन, भा.प्र.से. को संवर्ग में उनके कनिष्ठ श्री सरजियस मिंज, भा.प्र.से. (1978) के मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अर्थात् 02-04-2008 से देय होगा.

3. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्र. 11030/22/2007-AIS-II, दिनांक 3-11-2009 के द्वारा वर्ष 2010 के लिए मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु 02 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री सरजियस मिंज, भा.प्र.से. (1978) कृषि उत्पादन आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग एवं महानिदेशक, राज्य प्रशासन अकादमी को केवल कृषि उत्पादन आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री विवेक ढांड, भा.प्र.से. (1981) प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आयुक्त-सह-संचालक, नगरीय प्रशासन एवं पदेन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग को केवल आयुक्त-सह-संचालक, नगरीय प्रशासन एवं पदेन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक श्रम आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री डी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. (1982) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, वन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री पी.सी.दलेई, भा.प्र.से. (1984) सचिव, महामहिम राज्यपाल, श्रम आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, श्रम विभाग को केवल श्रम आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

5. श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1988) सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग को केवल सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, नगरीय विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

6. श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. (1991) सचिव, वित्त विभाग, आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना एवं आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त को केवल आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

7. श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा सचिव, (पर्सनल) सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री के. श्रीनिवासुलु, भा.प्र.से. (एस. के.-1994) पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, भू-अभिलेख एवं आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

9. श्रीमती संगीता पी., भा.प्र.से. (2004) सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, धमतरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

10. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08-02-2010 द्वारा श्री अमित कटारिया, भा.प्र.से. (2004) को कलेक्टर, धमतरी के पद पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

11. श्री के. सुब्रमण्यम, भा.व.से. सचिव, मान. मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2010

क्रमांक ई-7/12/2007/1/2.—श्री एलेक्स व्ही. एफ. पाल मेनन, भा.प्र.से., अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीजापुर, जिला बीजापुर, छ. ग. को दिनांक 11-01-2010 से 15-01-2010 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10, 16 एवं 17 जनवरी, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मेनन आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीजापुर, जिला बीजापुर, छ. ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मेनन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मेनन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्रमांक 379/360/2010/1/2.—श्री पि. रमेष कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, उद्योग एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 04-02-2010 से 06-02-2010 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 07-02-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पि. रमेष कुमार, आगामी आदेश तक आयुक्त, उद्योग एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पि. रमेष कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पि. रमेष कुमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्रमांक ई-7/6/2005/1/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 09-02-2010 से 10-02-2010 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 21-03/2002/नौ/55.—छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्र. 28 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के उप-नियम 2.9 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "2.10 सी. आर. एम. सी. से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ रूरल मेडिकल कोर योजना

   2.11 सी. आर. एम. सी. संस्थायें से अभिप्रेत है, आदेश क्र. एफ 1-143/2008/सत्रह/एक, दिनांक 16-11-2009 के अनुसार ऐसी संस्थायें जिन्हें सी. आर. एम. सी. में कठिन एवं कठिनतम वर्गीकृत किया गया है."

2. नियम 4 के उपनियम 4.1 में, शब्द तथा अंक "स्नातकोत्तर डिग्री की कुल 30 प्रतिशत सीटें तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा की 30 प्रतिशत सीटें, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत तथा उसके द्वारा प्रायोजित शासकीय चिकित्सकों के लिये आरक्षित है." के स्थान पर, शब्द एवं अंक "नियम 5.1 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता के अध्यधीन रहते हुए, स्नातकोत्तर डिग्री की कुल 50 प्रतिशत सीटें तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा की 50 प्रतिशत सीटें, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत तथा उसके द्वारा प्रायोजित राज्य शासन के चिकित्सकों के लिये आरक्षित है. राज्य शासन के चिकित्सकों के लिये आरक्षित कुल सीटों में से डिग्री एवं डिप्लोमा दोनों में कुल 50 प्रतिशत सीटें सी.आर.एम.सी. संस्थाओं में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी." प्रतिस्थापित किया जाए.

3. नियम 5 के उपनियम 5.1 में, शब्द "कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से गिनी जायेगी" के पश्चात् शब्द, "तथापि सी. आर. एम. सी. कठिन/कठिनतम संस्थाओं में नियमित अथवा संविदा कर्मचारियों के रूप में कार्यरत राज्य शासन के चिकित्सक तथा जिन्होंने परीक्षा वर्ष की 30 अप्रैल को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तो वे भी राज्य शासन के चिकित्सक कोटे के लिए आरक्षित सीटों हेतु पात्र होंगे. ऐसी अर्हता के लिए, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा." अन्त:स्थापित किया जाए.

4. नियम 6 के उपनियम 6.2 के शब्द "उसने एम बी बी एस परीक्षा (एम बी बी एस पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाएं) वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण की हो, तथा अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी चिकित्सालय में प्री-पी परीक्षा आयोजित की जाने के वर्ष की 30 अप्रैल को या उससे पूर्व पूर्ण कर ली हो." का लोप किया जाए.

5. नियम 9 के उपनियम 9.1 के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार आरक्षित श्रेणी (समस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के उम्मीदवारों के लिये, प्री-पी.जी. परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक 40% तथा अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये 50% होंगे. ऐसे समस्त उम्मीदवारों के नाम जो न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करते हैं, प्रावीण्य सूची में शामिल किये जायेंगे, तथापि गैर सी.आर.एम.सी. शासकीय चिकित्सकों के लिए 20% बोनस अंक तथा सी.आर.एम.सी. संस्थाओं के उम्मीदवारों के लिए 30% बोनस अंक, उनके द्वारा प्री-पीजी परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे."

6. नियम 9 के उपनियम 9.3 में, शब्द "ऐसे उम्मीदवारों पर कोई सीट काउंसलिंग की अंतिम तिथि के पूर्व रिक्त होने की स्थिति में विचार किया जायेगा." के पश्चात् शब्द "यद्यपि इस प्रकार के उम्मीदवार जो प्रावीण्य सूची में हैं किन्तु किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रह जाते हैं अथवा उपस्थित होते हैं किन्तु किसी भी सीट के लिए डिग्री या डिप्लोमा पसंद नहीं करते हैं तो आगामी काउंसलिंग, यदि कोई हो, के लिए उसे स्वत: ही मूल प्रावीण्यता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा." अत:स्थापित किया जाए.

7. नियम 11 के उपनियम 11.1 के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"11.1 काउंसलिंग के समय उम्मीदवार द्वारा किये गये चुनाव के आधार पर, उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम एवं विषय के चयन करने के पश्चात् तत्काल प्रवेश दिया जायेगा. ऐसे चयनित उम्मीदवारों को उसके स्नातकोत्तर (पी.जी.) पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् राज्य में दो वर्ष की ग्रामीण सेवा करनी होगी एवं इसके लिए उसे 10 लाख रुपये का एक बॉण्ड भरना होगा जिसके लिए 3 लाख रुपये (अनारक्षित श्रेणी)/1.5 लाख (आरक्षित श्रेणी) के उम्मीदवारों को बैंक गारण्टी के रूप में निर्धारित प्रपत्र में प्रवेश तिथि से छ: माह के भीतर प्रतिभूति बॉण्ड निष्पादित करना होगा."

8. नियम 11 के उपनियम 11.1.1, 11.1.1.1, 11.1.1.2 और 11.1.1.3 का लोप किया जाए.

9. नियम 11 के उपनियम 11.4 के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"11.5 अखिल भारतीय कोटे से चयनित उम्मीदवार को भी उसके स्नातकोत्तर (पी.जी.) पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् राज्य में दो वर्ष की ग्रामीण सेवा करनी होगी तथा इसके लिए उसे दो वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु 10 लाख रुपये का बॉण्ड भरना होगा जैसा कि नियम क्रमांक 11.1 में राज्य शासन कोटे के लिए लागू है."

No. F 21-03/2002/IX/55.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Chikitsa Mahavidyalayon ke Snatkottar Pathyakramon Main Pravesh Adhiniyam, 2002 (No. 28 of 2002), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Medical Snatkottar Pravesh Pariksha Niyam, 2004, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After sub rule 2.9 of rule 2, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"2.10 CRMC means the Chhattisgarh Rural Medical Core Yojna.

2.11 CRMC Institutions means the Institutions which are classified as hard and hardest in CRMC as per order No. F-1-143/2008/Seventeen/One, Dated 16-11-2009."

2. In sub rule 4.1 of rule 4, for the words and figures "A total number of 30 percent seats of Postgraduate Degree and 30 percent seats of Postgraduate Diploma are reserved for Government Doctors working under and sponsored by the State Government", the words and figures "Subject to eligibility as specified in rule number 5.1, a total number of 50 percent seats of Postgraduate Degree and 50 percent seats of Postgraduate Diploma are reserved for State Government Doctors working under and sponsored by the State Government. Out of total seats reserved for State Government doctors 50% seats both in degree and diploma shall be reserved for candidates working in CRMC institutions." shall be substituted.

3. In sub-rule 5.1 of rule 5, after the words "the case may be", the words "However State Government doctors working in hardest/hard CRMC Institutions both as regular or contractual employees and have completed three years of service on 30th April of the year of examination shall also be entitled for the seats reserved for State Government doctors quota. Certificate for such eligibility has to be issued by Director Health Services of Chhattisgarh." shall be inserted.

4. In sub-rule 6.2 of rule 6 the words "Has passed MBBS (All Examinations of MBBS course) from a Medical College now situated in Chhattisgarh State, and recognized by Medical Council of India and has completed compulsory rotating internship in a hospital recognized by Medical Council of India on or before 30th April of the year, in which Pre-PG Examination is held". shall be omitted.

5. For sub-rule 9.1 of rule 9, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"As per the decision of Hon'ble Supreme Court of India minimum qualifying marks in the Pre PG Examination are 40% for candidates of reserved category (SC, ST, OBC all) and 50% for candidates of unreserved category. Names of all candidates who get minimum qualifying marks shall be included in the merit list. However extra 20% bonus marks for non CRMC Government Doctors and 30% bonus marks for CRMC institutional candidate shall be added to the marks obtained by them in their Pre PG examination."

6. In sub-rule 9.3 of rule 9, after the words "Last date of counseling" the words "Similarly candidate though, is in the merit but remains absent due to any reason or present but does not opt for any seat degree or diploma will automatically be placed in waiting list as per his original merit for the next counseling if any" shall be inserted.

7. For the sub-rule 11.1 of rule 11, the following sub-rule shall be substituted, namely :—
"11.1 Depending on the choice made by the candidate at the time of counseling. Candidates will be given admission immediately after selection of course and subject. Such selected candidate has to do two years rural service in the state after completion of his/her P. G. Course and for this he/she has to furnish a bond of Rs. 10 Lakhs for which candidate has to execute a security bond in form of bank guarantee of Rs. 3 Lakhs (Unreserved Candidate)/Rs. 1.5 Lakhs (Reserved Category) within six months of date of admission in prescribed proforma."

8. Sub-rule 11.1.1, 11.1.1.1, 11.1.1.2 and 11.1.1.3 of rule 11 shall be omitted.

9. After sub-rule 11.4 of rule 11, the following proviso shall be inserted, namely:—
"11.5 The all India Quota selected candidate also has to do two years rural services in the state after completion of his/her P.G. Course and for this he/she has to furnish a bond of Rs. 10 Lakhs for two years rural service as applicable for the State Government quota rule number 11.1."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2010

क्रमांक 01/अ-82/09-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मेंढ़पार	0.598	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	मनियारी सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2010

क्रमांक 11/अ-82/07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	तखतपुर	0.716	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	तखतपुर कुरानकापा मार्ग पर मनियारी नदी पुल पर निर्माण पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 10 फरवरी 2010

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	झलका प. ह. नं.- 21	0.324	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भागूटोला से बीरूटोला सड़क निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 10 फरवरी 2010

रा. प्र. क्र. 21/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बुधवारा प. ह. नं.- 09	0.470	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड से रहंगी सड़क निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 10 फरवरी 2010

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	अमलीडीह प. ह. नं.- 19	0.060	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मुख्य मार्ग से रौचन सड़क निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 10 फरवरी 2010

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	अचानकपुर प. ह. नं.- 16	0.060	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मुख्य मार्ग से रौचन सड़क निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र. क/वा/भू-अर्जन/अ.वि.अ./पृ. क्र. 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	बलौदी प. ह. नं. 31	312/5	0.121	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			312/3	0.101		
			312/6	0.041		
			309/3	0.061		
			311/4	0.073		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			311/2	0.146		
			311/1	0.016		
			300	0.080		
			297/2	0.113		
			296/1	0.081		
		योग	8	0.833		

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्रमांक 222/भू-अर्जन/प्र.क्र./अ/82 सन् 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	चोरहाडीह प. ह. नं. 31	768/1 द	0.239	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	बलौदी, चोरहाडीह, ओड़ान मार्ग के कि.मी. 4/2 पर ग्राम चोरहाडीह नाला पर पुल निर्माण.
			768/1 ग/2	0.089		
			768/1 थ	0.154		
			732/1	0.006		
			768/1 द /2	0.081		
			732/2	0.101		
			729/3	0.024		
			731/2	0.049		
			732/3	0.025		
		योग	09	0.768		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 15 फरवरी 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/11/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-कबोंगा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	72/5	0.113
योग	1	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जैतपुरी-गुरला मार्ग के कि.मी.-9/6 में गुरला नाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण, संभाग), जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 30 जनवरी 2010

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-शंकरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-करमी उरांव टोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.384 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	513/2	0.049
	517	0.032
	513/5	0.081
	461/2	0.113
	515	0.283
	552	0.162
	512/2	0.101
	458	0.073
	553	0.243
	551	0.081
	512/1	0.101
	509/2	0.065
योग		1.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डीपाडीहकला कोठली मार्ग पर गलफुल्ला सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रित सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 2 फरवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पतुरियाडाड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.017 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
182 P	1.030
183/1	0.081
183/2	0.081
183/3	0.081
183/4	0.081
183/5	0.081
183/6	0.081
183/7	0.081
184/1	0.141
184/2	0.141
184/3	0.142
184/4	0.142
184/5	0.021
185/1	0.121
185/2 P	1.012
185/3	0.500
185/4 P	1.185
185/5 क	0.491
185/5 ख	0.492
185/5 ग	0.493
185/5 घ	0.709
185/6 P	0.977
185/7 P	0.635
185/8 P	1.038
185/9 P	1.059
185/10 P	1.058
185/11	0.809
185/13	0.809
185/14	1.026
186/1	1.194
186/2	0.202
186/3 क	0.466
186/3 ख	0.466
186/3 ग	0.464
188	0.607
191 P	0.020
योग 36	18.017

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-थर्मल पावर प्लांट भैयाथान के निर्माण के लिए कोल ब्लाक आवंटन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-कुरानकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.64 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
107/1	0.19
109/1	0.05
109/5	0.10
109/9	0.12
109/11	0.17
108/2	0.08
109/10	0.02
109/12	0.21
281/1	0.27
281/2	0.27
283/1	0.21
280/1	0.21
283/2	0.33
283/3	0.34
310	0.67
311	0.01
314	0.24
315	0.15
योग 18	3.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तखतपुर, कुरानकापा मार्ग में मनियारी नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2009

रा. प्र. क्र. 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बरेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
444/2	0.04
444/3	0.03
444/1	0.01
444/5	0.01
योग 4	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तखतपुर, कुरानकापा मार्ग में मनियारी नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.